न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 150 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
सोहनसिंह पुत्र श्री विजयसिंह जाति राजपूत निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर	1. घेवाराम मृतक जरिये काय.मु. 1/1प्यारीदेवी पत्नी घेवरराम 1/2माधाराम पुत्र घेवरचन्द 1/3रतन पुत्र घेवरचन्द 1/4अरूण पुत्र घेवरचन्द नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती प्यारीदेवी 1/5जमुदेवी पुत्री घेरवरचन्द पत्नी कन्हैयालाल जाति माली निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना 1/6राजोदेवी पुत्री घेवरचन्द पत्नी जोगाराम जाति माली निवासी सांकरणा बेरा बालोतरा 1/8राधादेवी पुत्री घेवरचन्द पत्नी सुरेशकुमार जाति माली निवासी जेठन्तरी तहसील समदड़ी 2. मृतक फौजाराम पुत्र कोजारा के कायम मुकाम 2/1कबुदेवी पत्नी फोजाराम 2/2गजेन्द्र पुत्र फोजाराम 2/3गोतम पुत्र फोजाराम 2/4लुगाराम पुत्र फोजाराम 2/5बीबादेवी पत्नी मदनलाल पुत्री फौजाराम जाति माली निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 3. जेठाराम पुत्र देवीजी जाति माली निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 4. हेमराज पुत्र रूपजी जाति माली निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 41/2002 बअनवान मृतक सोहनसिंह के वारिसान वगैरह बनाम सोहनसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 27.09.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुरेश नारायण खारवाल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अचलाराम थोरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—12.09.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 04 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ। ग्राम बालोतरा के खसरा संख्या 509 रकबा 6 बीघा में वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा का बाय मीटीस एण्ड बोण्डस विभाजन करने तथा स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया था जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.03.2009 को स्वीकार कर लिया। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एक अपील श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे श्रीमान द्वारा स्वीकार किया जाकर दिनांक 20.05.2010 को प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को तहसीलदार स्वय द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के पश्चात हेतु प्रेतिप्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पुनः निर्णय दिनांक 05.10.2011 को वाद वादीगण डिक्री किया गया जिसके विरूद्ध अपीलकर्ता द्वारा श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया जिसके विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर पूर्ववती निर्णय दिनांक 01.12.2012 एवं दिनांक 05.10.2011 निरस्त किये जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण प्रेतिप्रेषित कर निर्देश जारी किये गये थे, वे दोनों पक्षों को सुचित कर उनकी उपस्थिति में स्वयं तहसीलदार/नायब तहहसीलदार विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर एवं समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्देशों की पालना में वादग्रस्त भूमि के कब्जे के संबंध में साक्ष्य लिये बिना, अपीलार्थी प्रतिवादी की अनुपस्थिति में तहसीलदार द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट पर अपीलाधीन डिक्री पारित की है। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया जिस पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर हल्का पटवार व आर आई से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु कहा गया जिस पर हल्का पटवारी व आर आई ने उतरदाता के साथ मिलीभगत करते हुऐ मौके पर पक्षकारान के मध्य हुऐ बाहामी बंटवाडे व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

काश्त के विपरित विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम बालोतरा के खसरा संख्या 509 रकबा 6 बीघा में वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा का बाय मीटीस एण्ड बोण्डस विभाजन करने तथा स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया था जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.03.2009 को स्वीकार कर लिया। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एक अपील श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे श्रीमान द्वारा स्वीकार किया जाकर दिनांक 20.05.2010 को प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को तहसीलदार स्वय द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के पश्चात हेतु प्रेतिप्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पुनः निर्णय दिनांक 05.10.2011 को वाद वादीगण डिक्री किया गया जिसके विरूद्ध अपीलकर्ता द्वारा श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया जिसके विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर पूर्ववती निर्णय दिनांक 01.12.2012 एवं दिनांक 05.10.2011 निरस्त किये जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण प्रेतिप्रेषित कर निर्देश जारी किये गये थे वे दोनों पक्षों को सुचित कर उनकी उपस्थिति में स्वयं तहसीलदार/नायब तहहसीलदार विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर एवं समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्देशों की पालना में वादग्रस्त भूमि के कब्जे के संबंध में साक्ष्य लिये बिना, अपीलार्थी प्रतिवादी की अनुपस्थिति में तहसीलदार द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट पर अपीलाधीन डिक्री पारित की है। अपीलांट को बिना पूर्व सूचना के तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरित तैयार किया गया, जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है तथा एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा नायब तहसीलदार पचपदरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.03.2009 को स्वीकार कर लिया। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एक अपील श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे श्रीमान द्वारा स्वीकार किया जाकर दिनांक 20.05.2010 को प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को तहसीलदार स्वय द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के पश्चात हेतु प्रेतिप्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पुनः निर्णय दिनांक 05.10.2011 को वाद वादीगण डिक्री किया गया जिसके विरूद्ध अपीलकर्ता द्वारा श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया जिसके विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर पूर्ववती निर्णय दिनांक 01.12.2012 एवं दिनांक 05.10.2011 निरस्त कर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही को पूर्ण कर अपीलाधीन निर्णय उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। हिस्सों को लेकर अपीलांटगण द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं, तहसीलदार पचपदरा स्वयं ने मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलांटस द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes &

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि हस्तगत वाद को विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.03.2009 को स्वीकार कर लिया। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एक अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे हाजा न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर दिनांक 20.05.2010 को प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को तहसीलदार स्वय द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के पश्चात हेतु प्रेतिप्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पुनः निर्णय दिनांक 05.10.2011 को वाद वादीगण डिक्री किया गया जिसके विरूद्ध अपीलकर्ता द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी जिसे हाजा न्यायालय द्वारा खारिज किया गया जिसके विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर पूर्ववती निर्णय दिनांक 01.12.2012 एवं दिनांक 05.10.2011 निरस्त कर प्रकरण को मातहत अदालत को रिमाण्ड कर दिया गया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्देशों की पालना में मातहत अदालत ने अपीलांटस को सुनवाई का अवसर देते हुए संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही को पूर्ण करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में पारित की गई। अपीलांटगण द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध किसी प्रकार का उजर नहीं करने से स्पष्ट होता है कि अपीलांट को हिस्सों को लेकर कोई विवाद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटगण द्वारा बार–बार आपति जताई और अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर की गई आपति पर सुनवाई कर आपति निस्तारण किया गया। अंतिमत प्राप्त विभाजन प्रस्ताव बाकायदा भूमिधारक (तहसीलदार) पचपदरा स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए उभयपक्ष की मौजूदगी में बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर दिनांक 27.09.2022 को अंतिम डिक्री जारी की गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांट के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में तथा मेरी सुविचारित राय में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 41/2002 बअनवान मृतक सोहनसिंह के वारिसान वगैरह बनाम सोहनसिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 27.09.2022 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 12.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर